साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्बनिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

वर्ष : 8, अंक : 32 | (प्रति बुधवार), इन्दौर, 29 मार्च 2023 से 4 अप्रैल 2023 | पेज : 8 | कीमत : 3 रुपये

जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अक्षय ऊर्जा तकनीकों पर करना होगा चौगुना निवेश- आईआरईएनए

नई दिल्ली। यदि जलवायु लक्ष्यों को हासिल करना है तो अक्षय ऊर्जा तकनीकों के लिए किए जा रहे निवेश को चौगुना करना होगा। गौरतलब है कि 2022 में रिन्यूएबल एनर्जी तकनीकों पर करीब 106.89 लाख करोड़ रुपए (1.3 लाख करोड़ डॉलर) का निवेश किया गया था।

ऐसे में यदि हमें पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करना है तो ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे इस निवेश को हर साल 411.12 लाख करोड़ रुपए (पांच लाख करोड़ डॉलर) करना होगा। यह जानकारी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (आईआरईएनए) द्वारा जारी नई रिपोर्ट वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसिशन्स आउटलुक 2023ः 1.5 डिग्री पाथवे में सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेरिस समझौते के तहत तापमान में होती वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि देखा जाए तो वैश्विक तापमान में होती वृद्धि पहले ही 1.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुकी है। ऐसे में जैसे-जैसे समय बीत रहा है यह लक्ष्य और दूर होता जा रहा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस बात की 40 फीसदी संभावनाएं है कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगी। जलवायु विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तापमान में होती वृद्धि यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार कर जाएगी तो इसके विनाशकारी परिणाम सामने आएंगें, जिनकी भरपाई लगभग नामुमकिन होगी। ऐसे में रिपोर्ट की मानें तो ऊर्जा क्षेत्र में फॉसिल फ्यूल्स से रिन्यूएबल के बदलावों के लिए 2030 तक करीब 2,877.86 लाख करोड़ रुपए (35 लाख करोड़ डॉलर) के निवेश की जरूरत होगी। हालांकि रिपोर्ट में यह बात भी स्वीकार की गई है कि मौजूदा समय में अक्षय ऊर्जा तकनीकों को अपनाने के लिए जो निवेश किया जा रहा है वो काफी नहीं है। देखा जाए तो जिस तरह से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है उसके चलते 2050 तक बिजली उत्पादन को तीन गुणा से ज्यादा करने की जरूरत है। आंकड़ों की मानें तो 2020 में कुल ऊर्जा उत्पादन 27 पेटावाट-घंटा (पीडब्लूएच) था। इसका करीब 62 फीसदी हिस्सा अभी भी जीवाश्म ईंधन और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है, जबकि अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी केवल 28 फीसदी ही है। वहीं परमाणु ऊर्जा की मदद से दस फीसदी बिजली पैदा हो रही है। विश्लेषण बताता है कि 2050 में बिजली की यह जरूरत बढ़कर 89.8 पेटावाट-घंटा पर पहुंच जाएगी। ऐसे में यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करना है तो इस ऊर्जा उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 91 फीसदी होनी चाहिए। वहीं जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा को पांच फीसदी पर सीमित करने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे में यदि 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल करने की आशाओं को जीवित रखना है तो अक्षय ऊर्जा क्षमता को वर्त्तमान में 3,000 गीगावाट से बढाकर 2030 तक 10,000 गीगावाट करना होगा, जिसके लिए ऊर्जा क्षमता में हर साल 1,000 गीगावाट का इजाफा करने की जरूरत है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (आईआरईएनए) द्वारा जारी एक अन्य रिपोर्ट रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टैटिस्टिक्स 2023 से पता चला है कि 2022 में वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता में 9.6 फीसदी की वृद्धि हुई है। 295 गीगावाट की वृद्धि के साथ अब यह क्षमता बढ़कर 3,372 गीगावाट पर पहुंच गई है। पता चला है कि पिछले साल अक्षय ऊर्जा क्षमता विस्तार में सौर और पवन ऊर्जा का दबदबा रहा। 2022 में अक्षय ऊर्जा में हुई कुल वृद्धि में इनकी संयुक्त रूप से हिस्सेदारी करीब 90 फीसदी थी। यदि भारत के आंकड़ों को देखें तो भारत ने 2022 में अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 10.8 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। अब भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2021 में 147,122 मेगावाट से बढ़कर 2022 में 162,963 मेगावाट पर पहुंच गई है। अक्षय ऊर्जा क्षमता में हो रहा विस्तार दुनिया के केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्षय ऊर्जा में जो भी वृद्धि हुई है उसका करीब तो तिहाई हिस्सा चीन, अमेरिका और यूरोपियन देशों में दर्ज किया गया है। वहीं अफ्रीका की वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षमता में हिस्सेदारी केवल एक फीसदी ही है। स्पष्ट है कि इस मामले में विकासशील देश अभी भी काफी फिसड्डी हैं, जिनपर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ऐसे में रिपोर्ट में आगाह किया है कि यदि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों से बचना है तो सरकारों और निजी निवेशकों को अक्षय ऊर्जा में किए जा रहे निवेश में तेजी लाने की जरूरत है।

अत्यधिक दोहन और कुप्रबंधन के चलते पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेजी से गिर रहा भूजल का स्तर

कोलकाता। जल जीवन है, लेकिन जिस तरह से देश में इसका दोहन और कुप्रबंधन किया जा रहा है, उसके आने वाले वक्त में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देश भी गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। भले ही हम इसके लिए जितना मर्जी अन्य कारणों को कोस ले, लेकिन सच यही है कि इस अमूल्य संसाधन की इस कमी के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेवार हैं।

ऐसा ही कुछ गंगा बेसिन में भी देखने को मिला है जहां पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल में गंभीर समस्याएं पैदा होनी शुरू हो गई हैं। यह जानकारी स्विचऑन फाउंडेशन द्वारा जारी नई रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में जारी आंकड़ों से पता चला है कि जहां कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भूजल 2.53 मीटर मतलब की औसत से 27.8 फीसदी तक गिर गया है। वहीं कोलकाता में 2.12 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है, जोकि औसत से 18.6 फीसदी कम है। इसी तरह पुरबा मिदनापुर जिले में भी भूजल में 2.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। जहां भूजल औसत से 0.29 मीटर नीचे चला गया है। गौरतलब है कि भूजल के औसत स्तर की गणना पिछले पांच वर्षों (2017 से 2021) में भूजल में आए उतार-चढ़ाव पर आधारित है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2025 तक कोलकाता के जल स्तर में 44 फीसदी की गिरावट आ सकती है। देखा जाए तो इन तीन जिलों में भूजल का निरंतर अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है। ऐसे में हर साल हो रही बारिश भी भूजल के स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि भूजल में आती गिरावट से उन क्षेत्रों में जो मीठे पानी के लिए भूजल पर निर्भर हैं, पानी की उपलब्धता कम हो रही है। इससे इसके लिए आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और पहले ही सूखे की मार झेल रहे क्षेत्रों में स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो रही है।

यह अध्ययन केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा 2017 से 2021 के भूजल के स्तर से जुड़े आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है, जो मानसून से पहले रिकॉर्ड किए गए थे। इन आंकड़ों का उपयोग पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में भूजल की स्थिति को समझने के लिए किया गया है, जो गंगा बेसिन का हिस्सा हैं। इस अध्ययन में मुर्शिदाबाद, नदिया, बर्दवान, हुगली, हावड़ा, कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पुरबा मेदिनीपुर जिले को शामिल किया गया था। यह रिपोर्ट भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है। पश्चिम बंगाल में भूमिगत जल के दोहन और उपयोग को विनियमित करने के साथ जल संरक्षण और जल उपयोग में दक्षता लाने की भी जरूरत है। इसके लिए नई तकनीकों के साथ पुरखों के ज्ञान की मदद ली जा सकती है। इतना ही नहीं कृषि में भी बाजरा जैसी फसलों पर जोर दिया जाना जरूर है, जो पानी की कम से कम खपत करती है। साथ ही धान की स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा देना भी फायदेमंद हो सकता है। रिपोर्ट ऐसी फसलों के स्थान पर जो सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा पानी की खपत करती हैं उनके स्थान पर अन्य फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए नीतियों लागू करने की सिफारिश करती है। इस बारे में स्विचऑन फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक और रिपोर्ट से जुड़े शोधकर्ता विनय जाजू का कहना है कि, जिस तरह से भूजल घट रहा है, वह बहुत ही चिंताजनक है। हमारे पास तकनीकी समाधान मौजूद हैं। उनके अनुसार लोगों में जागरूकता और आदतों में बदलाव लाने के साथ-साथ जल संरक्षण की दिशा में युद्धस्तर पर काम करना होगा। साथ ही रिपोर्ट में भूजल के प्रभावी पुनर्भरण के लिए पारम्परिक आद्रभूमियों के संरक्षण की वकालत की गई है।

वयस्कों में हृदय रोगों के बढ़ते मामलों के लिए पर्यावरण जोखिम महत्वपूर्ण कारक -अध्ययन

शिमला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-मंडी के एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत में वयस्कों में हृदय रोगों के बढ़ते मामलों के लिए पर्यावरण जोखिम एक महत्वपूर्ण कारक है।

एक बयान में कहा गया है कि शोधकर्ताओं ने ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के 60,000 से अधिक लोगों के डेटा का विश्लेषण किया और निष्कर्षों से पता चला कि भारत में उम्रदराज लोगों को आनुवंशिक, पर्यावरण और व्यवहारिक जोखिम कारकों के कारण शारीरिक दिक्कतों का खतरा है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, आईआईटी-मंडी की एसोसिएट प्रोफेसर रमना ठाकुर ने कहा, ''भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खाना पकाने और अन्य उद्देश्यों के लिए अस्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करती है, जिससे उन्हें जलावन से निकलने वाले हानिकारक धुएं का सामना करना पड़ता है।'' अध्ययन टीम का हिस्सा रहीं ठाकुर ने कहा कि धूम्रपान नहीं करने वाले व्यक्ति में भी धुएं से, धूम्रपान करने वालों के समान हृदय संबंधी बीमारियों के प्रभाव और जोखिम हैं। अध्ययन ने व्यवहार संबंधी जोखिम कारकों की भी पहचान जैसे कि शारीरिक निष्क्रियता हृदय रोग की ओर ले जाती है।

शोध के आधार के बारे में ठाकुर ने कहा कि हृदय रोगों के लिए कई पारंपरिक जोखिम कारक हैं, जिनमें उच्च सिस्टोलिक रक्तचाप, कम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, अस्वास्थ्यकर भोजन, खराब पोषण की स्थिति, उम्र, पारिवारिक अतीत, शारीरिक निष्क्रियता, धूम्रपान और शराब का सेवन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषकों के संपर्क में आना एक अन्य महत्वपूर्ण जोखिम कारक है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए पांच सौ पौधे बांटे

पटियाला लायंस क्लब राजपुरा द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए शहर में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने के लिए पौधे बांटे गए। लायंस क्लब के प्रधान राकेश कुकरेजा रिंकू की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य मेहमान के तौर पर विधायक नीना मित्तल ने शिरकत की लायंस क्लब के परिसर में पौधारोपण कर इस मुहिम की शुरुआत करवाई और वहां मौजूद क्लब के सदस्यों को अपने हाथों से पौधे वितरित कर एक-एक पौधा सभी को लगाने के लिए प्रेरित किया।

प्रधान राकेश कुकरेजा रिंकू, चेयरमैन विमल जैन, सचिव डॉ. अजय चौधरी, कैशियर अनिल कुमार, पीआरओ हरबंस चावला ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ आगे भी इसी तरह बढ़चढ़ कर समाज सेवा के कार्य चलते रहने की बात कही। लायंस क्लब की टीम द्वारा 500 से अधिक पौधे बांटे। इस अवसर प्रधान राकेश कुकरेजा रिंकू, चेयरमैन विमल जैन, सचिव डा अजय चौधरी, कैशियर अनिल कुमार, पीआरओ हरबंस चावला, राजिंदर निरंकारी आदि मौजूद रहे।

केंद्र ने पर्यावरण संरक्षण के नियमों को किया कमजोर - जयराम रमेश

नई दिल्ली कांग्रेस ने वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन कर, नए कानून बनने पर केंद्र पर आदिवासी वर्ग का अहित और विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज इसका राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व ये है कि जो हमने कानून बनाए थे। उससे जंगल और वहां का जीवन खतरे में है। इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो कानून लाया गया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। क्यों कि उस संशोधन से हाथी के व्यापार को बढ़ावा मिल जायेगा, उसके व्यापार का दरवाजा खोल दिया जाएगा। जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, मनीष तिवारी, कांग्रेस के अन्य सांसदों ने इसका विरोध करते हुए राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था लेकिन फिलहाल ये दोनों हाउस से पारित हो गया है। जयराम रमेश ने कहा, वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन लाने का प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। क्योंकि स्थाई समिति के अध्यक्ष हम हैं। कांग्रेस के एमपी सदस्य हैं लेकिन सिलेकट कमेटी में बीजेपी के अध्यक्ष और उनका ही बहुमत है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जन जाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने चार पत्रों का खत पर्यावरण और वन मंत्री को लिखा है। उसमें कहा गया है जो संशोधन ला रहे हैं वो जनजाति के आदिवासी के हित में नहीं है। आदिवासी के जो कानूनी अधिकार हैं उसको छीन लिया जायेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि चिपको आन्दोलन जिसका नेतृत्व किया गौरा देवी ने और प्रॉजेक्ट टाइगर इसका नेतृत्व किया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दोनों संरक्षण अभियान 50वीं सालगिरह है। इसलिए आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। दोनों प्रोजेक्ट पर्यावरण के संरक्षक साबित हुए। उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी कैमरा जीवी नहीं थी। उनकी कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं, जो वन्य जीवों के साथ है। इसके लिए वो कभी रिजर्व नहीं गईं। उन्होंने (इंदिरा गांधी) पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम किया, वे मील के पत्थर हैं। विकास और पर्यावरण के बीच एक तालमेल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो घने जंगल बचे हैं, वे इंदिरा जी द्वारा बनाए गए कानूनों की वजह से बचे हैं। मोदी सरकार इन नियमों को कमजोर करना चाहती है। जो जंगल में रहते हैं पहले उनका हक होना चाहिए। गौरतलब है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 में संशोधन करने वाले इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री ने संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा और सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी थी।

ठेका पर्यावरण मित्रों का बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू

बनबसा । नगर पंचायत के ठेका पर्यावरण मित्रों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। मांगे पूरी नही होने तक उन्होंने कार्य बहिष्कार जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने नगर पंचायत परिसर में धरना देकर प्रदर्शन भी किया।

राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले बुधवार से नगर पंचायत के ठेका पर्यावरण मित्रों ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। उन्होंने विगत 25 मार्च को नगर पंचायत अध्यक्ष रेनू अग्रवाल व ईओ को करीब तीन माह के लंबित मानदेय का भुगतान किए जाने समेत सात सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था। चार दिन बाद भी मांगे नहीं माने जाने पर उन्होंने बुधवार से नगर पंचायत परिसर में कार्य बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के संरक्षक महेश वाल्मीकि, संगठनमंत्री ओमपाल वाल्मीकि, धर्मपाल वाल्मीकि, धर्मवीर वाल्मीकि, राकेश वाल्मीकि, महेंद्र पाल वाल्मीकि, सचिन वाल्मीकि, अभिषेक वाल्मीकि, अरुण वाल्मीकि, सौरभ वाल्मीकि, लक्ष्मी देवी, नीलम देवी आदि मौजूद थे। यह मामला कार्य बहिष्कार करने वाले पर्यावरण मित्रों एवं ठेकेदार के बीच का है जिसमें नगर पंचायत प्रशासन का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। मानवता के तहत ठेकेदार को चिठ्ठी भेज मामले के निस्तारण के लिए बुलाया गया है।

पर्यावरण संरक्षण को लेकर हाई कोर्ट सख्त, फ्लाई ऐश की रिपोर्ट तैयार कर रहे न्यायमित्र

बिलासपुर पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे फ्लाई ऐश के प्रबंधन को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। डिवीजन बेंच ने तीन अधिवक्ताओं की नियुक्ति न्याय मित्र के रूप में की है। न्याय मित्रों की टीम प्रदेशभर में राखड़ के समुचित प्रबंधन को लेकर पावर प्लांट और राखड़ डेम का निरीक्षण कर पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौपेंगे। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया है। वहीं, लापरवाही के कारण हो रही जनहानि और तेजी के साथ प्रदूषित हो रहे वातावरण को लेकर नाराजगी भी जताई है।

ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऐश टास्क पोर्टल के जरिए देशभर के पावर प्लांटों से निकलने वाली राख और उसकी उपयोगिता की हर महीने रिपोर्ट ली जाती है। वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में सामने आया कि राखड़ के उपयोग और निपटान में छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। रिपोर्ट में बताया है कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राख की खपत में बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा में निराशाजनक स्थिति है।

कोरबा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा जिले के अलावा प्रदेश के अन्य जगहों पर संचालित पावर प्लांटों से निकलने वाली राख के समुचित प्रबंधन और निपटान को लेकर पावर प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। बिजली घरों से निकलने वाली राख के निष्पादन में गंभीरता नहीं बरती जा रही है। संयंत्र के आला अफसर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। निर्धारित जगह पर राख का निष्पादन करने के बजाय किसी भी खाली जगह डंप कर दे रहे हैं। हवा चलते ही यह वातावरण में तेजी के साथ फैलने लगती है। इससे पर्यावरण तेजी के साथ प्रदूषित भी हो रहा है। किसान नेता वीरेंद्र पांडेय ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर राख का सही तरीके से निपटारा नहीं करने की शिकायत की है। इससे पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा होने की बात भी कही है। याचिकाकर्ता ने इस बात की भी जानकारी दी है कि कोरबा व रायगढ़ के एसडीएम ने लो लाइन एरिया के नाम पर राख डंपिंग का निर्देश जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन कराने के बजाय एसडीएम ने नियम विर्स्द्ध राख डंपिंग का आदेश जारी कर दिया है। इससे जानमाल का खतरा पैदा हो गया है। डिवीजन बेंच ने भी इस बात को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया है जो विषय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित है उस पर एसडीएम कैसे निर्देश जारी कर सकता है। कोर्ट ने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा की अगुवाई में तीन सदस्यीय न्यायमित्र का गठन कर पावर प्लांटों के अलावा निर्धारित राख डंपिंग स्पाट का निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

पर्यावरणीय अपराध - देरी से बिगड़ रही बात

मुंबई। देश की विभिन्न अदालतों में पर्यावरण से संबंधित अपराधों के 1.36 लाख मामले सुनवाई के लिए लंबित हैं। अदालतों द्वारा रोज 130 मामलों का निपटारा किया जा रहा है, लेकिन बैकलॉग खत्म करने के लिए प्रतिदिन 245 मामलों का निपटारा होना जरूरी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस दौर में जिस गति से पर्यावरणीय अपराध बढ़ रहे हैं, उस गति से इनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। आज पर्यावरण का क्षेत्र एक बड़ा आपराधिक क्षेत्र बनता जा रहा है, लेकिन इसे दूसरे अपराधों की तुलना में उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यही कारण है कि पर्यावरणीय अपराधों के निपटारे में लापरवाही बरती जाती है।

'सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट' द्वारा जारी यह रिपोर्ट पर्यावरण के क्षेत्र में पनप रहे खोखले आदर्शवाद की तरफ भी इशारा करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दर्ज लगभग 19,000 मामले लंबित हैं और मौजूदा दर से इन मामलों का निपटारा करने में अदालतों को 14 साल 11 महीने लगेंगे। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत लगभग 2000 मामले लंबित हैं और मौजूदा दर से उनके निपटारे में करीब 38 साल और 9 महीने लगेंगे। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत लगभग 3,750 मामले लंबित हैं और अगर यही हाल रहा तो उन्हें निपटाने में 12 वर्ष लगेंगे। क्या कारण है कि भाषणों में पर्यावरण पर बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से पर्यावरणीय अपराधों में लिप्त लोग खुले आम घूमते रहते हैं? दरअसल, विश्व स्तर पर कुछ प्रचलित पर्यावरणीय अपराध माने जाते हैं। वन्यजीव अपराध अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में लगातार बढ़ता जा रहा है। अवैध रूप से वृक्षों की कटाई ने दुनिया ने सभी महाद्वीपों को प्रभावित किया है और यह चीन, भारत और वितयनाम जैसे सभी उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में व्यापक रूप से हो रही है। विश्व के कई भागों में अवैध रूप से मछली पकड़ना इसी अपराध की श्रेणी में आता है। पर्यावरणीय अपराधों में प्रदूषण संबंधी अपराधों का भी बड़ा दायरा है। अवैध कचरे की तस्करी तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन-क्षयकारी पदाथरे का अवैध उत्पादन और उपभोग भी इसी श्रेणी में आता है। दरअसल, पर्यावरण के मुद्दों को निपटाने के लिए बहुत से कानून अस्तित्व में हैं, मगर उनका ठीक ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अनेक पर्यावरणीय अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) की स्थापना की गई थी। हालांकि एनजीटी एक अर्ध-न्यायिक निकाय है और इसके पास सीमित शक्तियां हैं। सामान्य अदालतों पर बोझ कम करने के लिए एनजीटी बनाया गया था। इसके पास कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के समान अधिकार हैं, लेकिन यह एक सामान्य अदालत की तरह नहीं है। आज एनजीटी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एनजीटी अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की जरूरत है। आमतौर पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। इसके साथ ही 15 साल के अनुभव वाले भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान में डॉक्टरेट तथा इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर व्यक्तियों को भी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया जाता है। सवाल यह है विशेषज्ञों को किताबी ज्ञान के अलावा कितना व्यावहारिक ज्ञान होता है ? समस्या यह है कि इस दौर में किताबी ज्ञान वाले पर्यावरण विशेषज्ञों की भीड़ पैदा हो गई है। इन विशेषज्ञों को पर्यावरण का व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है। आज जरूरत इस बात की है कि प्राधिकरण और अदालतों में व्यावहारिक ज्ञान वाले पर्यावरण विशेषज्ञों और जजों की नियुक्ति भी की जाए। पर्यावरण के संदर्भ में जजों की समझ विकसित करने के लिए निश्चित अंतराल पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। कमरों से बाहर निकलकर विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में जाकर भी जजों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जजों में एक नई पर्यावरणीय चेतना पैदा होगी। अभी तक पर्यावरण से जुड़े अपराधों को उतनी गंभीरता से नहीं देखा जाता है, जितनी गंभीरता से अन्य अपराधों को देखा जाता है।

पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की बैठक हुई-जिले में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं करने वाले कारखानों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई

रामगढ़ उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की बैठक हुई। इस दौरान सबसे पूर्व उपायुक्त ने क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्रदूषण नियंत्रण को लेकर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों व चलाए गए जांच अभियान के उपरांत की गई कार्रवाई की जानकारी ली। इस दौरान उपायुक्त ने कार्यों पर असंतोष जाहिर करते हुए क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को कार्यों को गंभीरता से लेने एवं प्रदूषण नियंत्रण के खिलाफ कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया।

इसके लिए उपायुक्त ने वैसे सभी कारखाने जो प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण मानकों का पालन नहीं कर रहे है, उनके खिलाफ जांच अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करने एवं कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जिला खनन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को उनके उनके क्षेत्रों में जांच अभियान चलाने एवं अवैध क्रेशरों व अन्य अवैध माइनिंग गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने जांच के क्रम में अवैध पाए जाने के उपरांत अवैध क्रेशरों को त्वरित ध्वस्त करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को उनके उनके क्षेत्रों में अवैध खनन व प्रदूषण संबंधित गतिविधियों को लेकर चलाए गए जांच अभियान एवं उन में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन ससमय जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लगाए नीम, आँवला और अमरूद के पौधे

हिन्दू जागृत मंच के सदस्यों ने भी किया पौध-रोपण

भोपाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में नीम, आँवला और अमरुद के पौधे लगाए। जागृत हिन्दू मंच परिवार के डॉ. दुर्गेश केशवानी, सर्वश्री कपिल तुलसानी, सुनील जैन, यश केसवानी और सुरेश शुक्ला ने भी पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान को जागृत हिन्दू मंच के सदस्यों ने लकड़ी से बना गौरैया घर भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्षियों के संरक्षण की यह पहल सराहनीय है, मुख्यमंत्री निवास में गौरैया घर लगा कर पक्षियों के सरंक्षण की इस मुहिम में वे भी सहभागी होंगे।

पर्यावरण-जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में शुरू हुई

गांधीनगर पर्यावरण और जलवायु निरंतरता से संबद्ध कार्य समूह की दूसरी बैठक आज गांधीनगर में शुरू हो गई है। बैठक जी-20 के सदस्य देशों की ओर से जल संसाधन प्रबंधन की श्रेष्ठ पद्धतियों पर प्रस्तुतिकरण के साथ शुरू हुई। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें आमंत्रित देशों के 11 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 14 प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक की चर्चा भूमि क्षरण रोकने, पर्यावरण प्रणाली को मजबूत करने, जैव विविधता को समृद्ध करने, संसाधन दक्षता को प्रोत्साहित करने, चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत और जलवायु-अनुकूल समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अहमदाबाद हवाई अड्डे पर जी-20 के प्रतिनिधियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया।

पर्यावरण बचाने का संदेश देने पदयात्रा कर रहा युवक

जशपुर 23 राज्यों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से यूपी के युवक ने पदयात्रा शुरू की है। पदयात्रा के दौरान वह पौधरोपण भी करा रहा है। शनिवार को 2300 किलोमीटर की पदयात्रा कर वह जशपुर पहुंचा और कलेक्टर से मिलकर छात्रों से पौधे लगवाने की अपील की। उत्तरप्रदेशा का सुल्तानपुर निवासी आशुतोष पांडेय 24 साल ने कलेक्टर रवि मित्तल से गुजारिश की, कि अगले शैक्षणिक सत्र से हर छात्र द्वारा एक पेड़ लगाए जाने की योजना को लागू किया जाए। शिक्षा का नया सत्र शुरू होने पर हर छात्र स्कूल के पहले दिन एक पौधा लगाए। पूरे सत्र उसकी देखभाल करे। सत्र के अंत में छात्र का लगाया पौधा कितना बड़ा हुआ, इसके आधार पर भी उसे परीक्षा में अंक दे। यदि ऐसा हुआ तो हर छात्र के मन में पर्यावरण के प्रति प्रेम जग उठेगा। एक साल में सिर्फ छत्तीसगढ़ में 50 लााख पौधे और पूरे भारत में 20 करोड़ पौधे लग जाएंगे। उसने बताया कि अब तक भ्रमण के दौरान उसने 54 स्कूलों में पहुंचकर 900 पौधे लगवाए हैं। आशुतोष ने बताया कि उसने कई जगहों पर पर्यावरण का बेजा दोहन देखा है। निर्माण कार्यों के लिए हजारों हजार पेड़ काट दिए जा रहे हैं। इसके बदले में नए पेड़ लगाने की महज खानापूर्ति हो रही है। यदि यही स्थिति रही तो एक दिन ऐसा भी जाएगा, जब पानी की तरह लोगों को हवा भी खरीदनी होगी। जिनके पास हवा खरीदने के पैसे होंगे वहीं जीवित होंगे। जशपुर को आशुतोष ने अन्य इलाकों के मुकाबले काफी बेहतर बताया। आशुतोष ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर पैदल भारत भ्रमण की प्रेरणा उसे खुद से मिली। उसने इस यात्रा को वंदे भारत पदयात्रा नाम दिया है। पहले वह दिल्ली के मुखर्जी नगर में नीम्स कंपनी में 10 लाख पैकेज पर काम करता था, पर पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसी प्रेरणा जगी कि उसने नौकरी छोड़ दी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008